

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) रसायन विज्ञान का स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है-

क्र.सं.	नाम कार्मिक श्री/श्रीमती/सुश्री	ऊहा से राजमाधि/सहायमाधि	जिला	ऊहा को राजमाधि/सहायमाधि	जिला
1	RAJ KUMAR CHHABBARWAL	GOVT. A SR. SEC.SCHOOL BALI JASSAKHERA, BHEEM,	RAJSAMAND	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL, ROOPGARH (SIKAR)	SIKAR
2	POONAM BENIWAL	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL, ROOPGARH (SIKAR)	SIKAR	GOVT. SR. SEC.SCH.; SIMARLA JAGIR	SIKAR
3	ASHWANI KUMAR	GSSS KUSHLAWA, DECHU	JODHPUR	GOVT.SR.SEC.SCH. 10 DOL (212102)	GANGANAGAR

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। क्रम संख्या 02 पर अंकित कार्मिकों को नियमानुसार योग्यकाल एवं यात्रा भत्ता देय होगा। जिन कार्मिकों का परीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है, उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। R.V.B.E.S कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद्/नगर मालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/ कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। जन्मे समय से अनुपस्थित/ निलम्बित/कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं निदेशालय को सूचित कर आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के बाद ही नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावे। एम.एड. योग्यतावाही कार्मिकों को ही डाईट में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे। पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावे।




(निशंत किशोर)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिक्षण-माध्य/संस्था/सी-4/रजीग/रसायन विज्ञान/स्थानान्तरण/2019-20 दिनांक- 29/09/2019
प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 विभिन्न सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 3 शासन उपाय सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 4 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक
- 5 सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त सम्बन्धित कार्मिकों के नियमानुसार कार्यग्रहण/ कार्यमुक्ति की कार्यवाही तीन दिवस के भीतर सम्पादित करवाकर निदेशालय को प्रगति देवे।
- 6 सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावे।
- 7 सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यकरूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावे।
- 8 करें।
- 8 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु
- 9 सम्बन्धित कार्मिक
- 10 संबंधित प्रत्याक्षी



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर